HAMIRPUR POLICE

जनपद हमीरपुर दिनांक 21.03.2023

प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई साथ ही वादी को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का आदेश पारित किया गया।-

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 18.10.2011 को थाना मौदहा, जनपद- हमीरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 1439/11 अन्तर्गत धारा 302/307 आईपीसी में नामजद अभियुक्तगण 1) आकिर अली 2) जामिन अली पुत्रगण आशिक अली कमालुद्दीन पुत्र फखरुद्दीन निवासीगण कम्हरिया थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग मे आरोपीगण को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई साथ ही वादी को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का आदेश पारित किया गया।